सहारनपुर विकास प्राधिकरण

की

71वीं बोर्ड बैठक का

कार्यवृत्त

दिनांक : 27.09.2023

समय : अपरान्ह 03.00 बजे

स्थान : सभागार, सर्किट हाऊस, सहारनपुर।

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 27–09–2023 को आहूत सहारनपुर विकास प्राधिकरण की 71वीं बोर्ड बैठक में उपस्थिति।

क्र0सं0	नाम/पदनाम	पदेन	हस्ताक्षर
1–	श्री हृषिकेश भास्कर यशोद आयुक्त सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।	अध्यक्ष	
2–	डा0 दिनेश चन्द्र जिलाधिकारी, सहारनपुर।	सदस्य	
3–	सचिव आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1, उ0प्र0शासन, लखनऊ।	सदस्य	
4–	सचिव वित्त विभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।	सदस्य	
5–	श्री आशीष कुमार उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण, सहारनपुर।	उपाध्यक्ष	
6–	सुश्री गज़ल भारद्वाज नगर आयुक्त, नगर निगम, सहारनपुर।	सदस्य	सत्येन्द्र कुमार अपर न.
7–	श्री कृष्ण मोहन सहयुक्त नियोजक, मेरठ संभागीय नियोजन खण्ड, मेरठ। प्रतिनिधि– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	सदस्य	27/09
8–	अपर निदेशक (कोषागार) सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर। प्रतिनिधि– सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।	सदस्य	
9–	अधीक्षण अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम, निर्माण खण्ड, सहारनपुर।	सदस्य	
10–	अधीक्षण अभियन्ता सहारनपुर वृत्त, लोक निर्माण विभाग, सहारनपुर।	सदस्य	27/9

Scanned with OKEN Scanner

क्र0सं0	नाम/ पदनाम	पदेन	हस्ताक्षर
11—	श्री राकेश जैन	गैर सरकारी/मनोनीत सदस्य	
12—	श्री सुरेन्द्र शर्मा	गैर सरकारी/मनोनीत सदस्य	
13—	श्री अमित गगनेजा	गैर सरकारी/मनोनीत सदस्य	
14—	अधीक्षण अभियन्ता नगरीय विद्युत वितरण खण्ड, सहारनपुर।	विशेष आमंत्री	
15—	श्री विजय कुमार सिंह सहायक नगर नियोजक, मेरठ/सहारनपुर विकास प्राधिकरण।	विशेष आमंत्री	Vijay
16—	परियोजना प्रबन्धक उत्तर प्रदेश सेतु निगम, सहारनपुर।	विशेष आमंत्री	

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 27–09–2023 को सम्पन्न हुई सहारनपुर विकास प्राधिकरण की 71वीं बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त।

सहारनपुर विकास प्राधिकरण की 71वीं बोर्ड बैठक सभागार, सर्किट हाऊस, सहारनपुर में आयुक्त/अध्यक्ष, सहारनपुर मण्डल/विकास प्राधिकरण, सहारनपुर की अध्यक्षता में दिनांक 27.09.2023 को सम्पन्न हुई। सर्वप्रथम सचिव, सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष महोदय तथा सभी उपस्थित मा0 सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में सचिव, स0वि0प्रा0 तथा निम्नलिखित मा0 सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया :–

1.	श्री हृषिकेश भास्कर यशोद	आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।	अध्यक्ष
2.	डा0 दिनेश चन्द्र	जिलाधिकारी, सहारनपुर।	सदस्य
3.	श्री आशीष कुमार	उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, सहारनपुर।	उपाध्यक्ष
4.	श्री सत्येन्द्र कुमार तिवारी	अपर नगर आयुक्त, प्रतिनिधि नगर आयुक्त, नगर निगम, सहरनपुर।	सदस्य
5.	श्री कृष्ण मोहन	सहयुक्त नियोजक, मेरठ संभागीय नियोजन खण्ड, मेरठ। प्रतिनिधि–मुख्य नगर एव ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, लखनऊ।	सदस्य
6.	श्री विजय शुक्ला	अपर निदेशक (पेन्शन एवं कोषागार), सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर। प्रतिनिधि – सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।	सदस्य
7.	श्री सी0पी0 सिंह	अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सहारनपुर।	सदस्य
8.	श्री सतेन्द्र सिंह	परियोजना प्रबंधक, उत्तर प्रदेश सेतु निगम, सहारनपुर।	विशेष आमंत्री
9.	श्री विजय कुमार सिंह	नगर नियोजक, मेरठ/सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर।	विशेष आमंत्री
10.	श्री राकेश जैन		गैर सरकारी/ मनोनीत सदस्य
11.	श्री सुरेन्द्र शर्मा		गैर सरकारी/ मनोनीत सदस्य
12.	श्री अमित गगनेजा		गैर सरकारी/ मनोनीत सदस्य

Scanned with OKEN Scanner

एजेन्डा आईटम सं0	विषय	एजेण्डा	मा0 बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देश
71/01	दिनांक 31.01.2023 को सम्पन्न हुई 69वीं बोर्ड बैठक एवं दिनांक 23.03.2023 को परिचालन के माध्यम से सम्पन्न 70वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।		मा0 बोर्ड द्वारा दिनांक 31.01.23 को सम्पन्न हुई 69वीं बोर्ड बैठक एवं दिनांक 23.03.2023 को परिचालन के माध्यम से सम्पन्न 70वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन की पुष्टि कर अवलोकित किया गया।
71/02	मा0 मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नये शहरों के समग्र एवं समुचित विकास हेतु दिशा–निर्देश के क्रम में सहारनपुर शहर में न्यू टाउनशिप विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।	सहारनपुर विकास प्राधिकरण के पास लैण्ड बैंक उपलब्ध न होने के कारण एवं शासन द्वारा प्रदेश में 100 नई टाउनशिप विकसित करने के निर्णय के क्रम में विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न मुख्य मार्गो के समीप टाउनशिप हेतु भूमि चिन्हांकन हेतु कौन सी लोकेशन श्रेयस्कर होगी, के संबंध में निःशुल्क डिमाण्ड सर्वे का प्रस्ताव प्राधिकरण 69वीं बोर्ड दिनांक 31.01.2023 के एजेण्डा आईटम संख्या 69/14 के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिस पर मा0 बोर्ड द्वारा भूमि क्रय करने से पूर्व डिमाण्ड सर्वे का कार्य कराने के निर्देश/स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त के अनुपालन में दिनांक 13.02.2023 से 30.04.2023 तक भविष्य में तैयार किये जाने वाली टाउनशिप हेतु प्राधिकरण द्वारा डिमांड सर्वे हेतु जनसामान्य को सूचना प्रेषित की गयी। डिमाण्ड सर्वे में प्राप्त सर्वे फार्म के आधार पर अधिकांश व्यक्तियों द्वारा दिल्ली रोड अथवा उसके आस–पास तथा मिनी बाईपास पर भवन/भूखण्ड लेने की इच्छा जाहिर की गयी।	मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर गहनता से विचार–विमर्श किया गया। बोर्ड के समक्ष जमीन की उपयोगिता, परियोजना की प्रासंगिकता व तैयार प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट के परीक्षण हेतु जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट भी पृथक से प्रस्तुत की गयी जिसे बोर्ड द्वारा अवलोकित

Scanned with OKEN Scanner

डिमाण्ड सर्वे का सारांश निम्नवत है :–

प्राथमिकता	मिनी बाईपास पर	दिल्ली रोड या उसके आस पास	जनता रोड या उसके आस पास	चुनहेटी देवला बाइपास या उसके आस पास	अम्बाला रोड या उसके आस पास
भूखण्ड	95	419	12	13	27
निर्मित भवन	16	77	03	01	02

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 उ0प्र0 शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या–39/2023/384/आठ–1–2023–1450/2022टी0सी0–1 दिनांक 06.04.2023 द्वारा मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/ नये शहरी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नये शहरों के समग्र एवं समुचित विकास हेतु दिशा–निर्देश प्रदान किये गये है जिसके मुख्य बिन्दु निम्नवत है :–

1–योजना का उद्देश्य शहरीकरण को बढाने हेतु नई टाउनशिप को विकसित करना है।

2– योजना अंतर्गत नई टाउनशिप के विकास के लिए विकास प्राधिकरण को भूमि अर्जन हेतु सीड कैपिटल उपलब्ध कराया जाएगा।

3– योजना के अंतर्गत नए टाउनशिप के विकास/ पूर्व विकसित टाउनशिप के विस्तारीकरण करने हेतु भूमि अर्जन की लागत में आने वाले व्यय का 50 प्रतिशत तक राज्य सरकार द्वारा सीड कैपिटल के रूप में अधिकतम 20 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध करायी जाएगी तथा शेष धनराशि प्राधिकरण द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा।

4– टाउनशिप का न्यूनतम क्षेत्रफल 25 एकड होगा।

5– भूमि अर्जन हेतु सीड कैपिटल के रूप में उपलब्ध करायी गयी धनराशि से क्रय की जाने वाली भूमि का एक ही स्थान पर होना आवश्यक हैं।

सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1995 में गठन के उपरांत ट्रांसपोर्ट नगर योजना हेतु पूर्व में भूमि अर्जित की गयी थी, जिसे अर्जन उपरांत नियोजित किया जा चुका है। इसके उपरांत विकास प्राधिकरण द्वारा कोई भूमि अर्जित नहीं की गई है वर्तमान में सहारनपुर विकास प्राधिकरण के पास स्वयं का कोई लैण्ड बैंक नहीं है। अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक 07.06.2023 में भी निर्देश दिये गये थे कि "जिन प्राधिकरणों का लैण्ड बैंक शून्य है अथवा नगण्य है, द्वारा मुख्यमंत्री

किया गया। बोर्ड द्वारा मत स्थिर किया गया कि भूमि को यथासंभव एक साथ क्रय किए जाने हेतु आवश्यकतानुसार अर्जन की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है।

मा0 बोर्ड द्वारा विभिन्न पहलुओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा उपरान्त प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी।

Scanned with OKEN Scanner

शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत भूमि अर्जन हेतु सीड कैपिटल प्राप्त किये जाने के लिए दिनांक 23.06.2023 तक प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायें।"

अतः शासन के निर्देश के क्रम में स्वयं का लैंड बैंक न होने के दृष्टिगत प्राधिकरण द्वारा मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना/नए शहर प्रोत्साहन योजना अंतर्गत सीड कैपिटल प्राप्त करने की दिशा में कार्यवाही की गयी।

सहारनपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत 42.70 हैक्टेयर में प्रस्तावित टाउनशिप की प्रारम्भिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन को दिनांक 24.06.2023(संलग्नक–1) को प्रेषित की गयी थी। प्रेषित प्रस्ताव के संबंध में दिनांक 10.08.2023 एवं 11.09.2023 को शासन में परियोजना पर विचार विमर्श हुआ जिसमें यह निर्देश प्राप्त हुए कि भविष्य की आवश्यकता के दृष्टिगत व बेहतर नियोजन हेतु योजना का क्षेत्रफल बढाया जाए। बैठकों में प्राप्त निर्देशों के क्रम में टाउनशिप प्रस्ताव हेतु ग्राम चुनैटी गाडा, ग्राम सैदपुरा तथा ग्राम मौ0 बहलोलपुर में ही 52.2 है0 भूमि चिन्हित की गयी है जिस पर पुनः प्रस्ताव (संलग्नक–2) तैयार किया गया है।

प्रस्ताव में भूमि की दर का मूल्यांकन वर्तमान सर्किल दर के चार गुना दर पर किया गया है। तैयार रिपोर्ट में इंटेग्रेटेड टाउनशिप नीति एंव भवन निर्माण उपविधि के आधार पर परियोजना का प्रारम्भिक लैण्डयूज–प्लान तैयार करते हुए तथा शासन द्वारा निर्धारित आदर्श कॉस्टिंग गाइडलाइन के आधार पर विकसित भूमि का मूल्यांकन किया गया है। भूमि क्रय पर व्यय व उस पर विकास कार्य हेतु व्यय के आधार पर विकसित आवासीय भूखण्ड की दर विक्रय योग्य पायी गयी।

तदक्रम में मा0 मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नए शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत टाउनशिप प्रस्ताव में निहित भूमि के संबंध में विवरण निम्नवत है :–

1– भूमि का क्षेत्रफल :–

तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (है0 में)
सहारनपुर सदर	मौ0 बहलोलपुर	13.4
	सैदपुरा	22.1
	चुनैटी गाडा	16.7
	योग	52.2

2– भूमि की अनुमानित लागत :–

ग्राम	क्षेत्रफल	औसत सर्किल दर प्रति हेक्टेयर (लाख रूपये में)	चार गुना दर पर आंकलित (रूपये)
मौ0 बहलोलपुर	13.4	132	70,75,20,000
सैदपुरा	22.1	132	116,68,80,000
चुनैटी गाडा	16.7	144	96,19,20,000
योग	52.2		283,63,20,000

रजिस्ट्री शुल्क जोडते हुए भूमि की कुल लागत रू0 306,32,25,600
रू0 306.32 करोड़

परियोजना के क्रियान्वयन हेतु शासन से सीड कैपिटल के रूप में प्राप्त होने वाली अधिकतम 50 प्रतिशत धनराशि के अतिरिक्त परियोजना लागत (अवशेष भूमि क्रय सहित) हेतु अवशेष धनराशि की व्यवस्था प्राधिकरण द्वारा अपने स्वयं स्रोत तथा हुडको/वित्तीय संस्थानों से ऋण लेकर किया जाना प्रस्तावित है।

3– क्रय की जाने वाली प्रस्तावित टाउनशिप में ग्राम समाज/अन्य सरकारी विभागों की स्थिति :–

ग्राम	ग्राम समाज/ सरकारी विभाग के खसरा नंबर की संख्या	ग्राम समाज/ सरकारी भूमि का क्षेत्रफल (है0)	नवैय्यत
मौ0 बहलोलपुर	4	0.143	गूल, चकरोड
सैदपुरा	8	0.596	कुंआ, रास्ता, चकरोड, नाली
चुनैटी गाडा	5	0.415	गोहर
योग	17	1.154	

Scanned with OKEN Scanner

4– क्रय की जाने वाली भूमि के गाटों की संख्या :–

ग्राम	क्रय किए जाने वाले भूमि के गाटों की संख्या
मौ0 बहलोलपुर	26
सैदपुरा	36
चुनैटी गाडा	34
योग	96

5– प्रभावित किसानों की संख्या (अनुमानित) :–

ग्राम	खतौनी के अनुसार दर्ज भू–धारकों की संख्या	कुल प्रभावित कृषकों की संख्या
मौ0 बहलोलपुर	122	207
सैदपुरा	142	
चुनैटी गाडा	210	
योग	474	

6– किसानों से सहमति प्राप्त करने की स्थिति :– किसानों से संपर्क कर सहमति प्राप्त किए जाने की कार्यवाही प्रगतिशील है।

7– विगत तीन वित्तीय वर्ष के बैलेन्स शीट की निम्न प्रारूप पर सूचना :– वित्त अनुभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना निम्नानुसार है। (वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित सूचना संलग्नक–3 पर है)

(धनराशि रू0 करोड़ में)

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	आय	व्यय	अवशेष	कैश बैलेन्स उपलब्ध
1.	2020–21	18.91	19.26	–0.35	43.72
2.	2021–22	27.36	8.42	18.94	65.22
3.	2022–23	32.98	15.10	17.88	87.14

(उपरोक्त सूचना में प्राधिकरण के स्वयं स्रोत से आय तथा अवस्थापना निधि मद में प्राप्त आय, दोनों सम्मिलित है।)

Scanned with OKEN Scanner

उपाध्यक्ष सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर द्वारा कार्यालय आदेश संख्या 1589/उपा0कार्या0 दिनांक 23.09.2023 द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन व वित्तीय फीजिबिलटी आख्या तैयार करने हेतु समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा दिनांक 26.09.2023 को परियोजना के क्रियान्वयन, वित्तीय फीजिबिलटी व परियोजना हेतु सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कितनी धनराशि किस स्त्रोत से कब–कब उपलब्ध करायी जायेगी तथा इसमें कितना धन शासन को व बैंक/वित्तीय संस्थान को कब और कैसे वापस करना होगा तथा परियोजना से प्राधिकरण को कितनी आय सम्भावित है, के सम्बन्ध में विस्तृत आख्या (संलग्नक–4) प्रस्तुत की गयी। आख्या के मुख्य बिन्दु निम्नवत् है :–

<u>योजना का क्रियान्वयनः</u>– योजना का क्रियान्वयन तीन चरणों में निम्नानुसार प्रस्तावित हैः–

प्रथम चरण	:–	भूमि का जुटाव/क्रय (0–3वर्ष)
द्वितीय चरण	:–	भार मुक्त भूमि का विकास व विक्रय(4–8वर्ष)
तृतीय चरण	:–	बन्धक मुक्त भूमि का विकास व विक्रय(9–13वर्ष)

<u>(i) प्रथम चरण (भूमि का जुटाव/क्रय)</u>

योजना के प्रथम चरण का उद्देश्य योजना के विकास हेतु भूमि का जुटाव/क्रय किये जाने से सम्बन्धित है। प्रथम चरण की अनुमानित अवधि 03 वर्ष प्रस्तावित है, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

प्रथम वर्षः– प्रथम वर्ष में योजना के निर्धारित क्षेत्रफल (लगभग 5,22,000 वर्गमीटर) का 25 प्रतिशत (लगभग 1,30,500 वर्गमीटर) भूमि को सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये सीड कैपिटल की प्रथम किस्त एवं प्राधिकरण के स्वयं के स्त्रोत से क्रय किया जाना प्रस्तावित है।

द्वितीय वर्षः– द्वितीय वर्ष में योजना के निर्धारित क्षेत्रफल (लगभग 5,22,000 वर्गमीटर) का 25 प्रतिशत (लगभग 1,30,500 वर्गमीटर) भूमि को सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये सीड कैपिटल की प्रथम किस्त, ऋण की प्रथम किस्त एवं प्राधिकरण के स्वयं के स्त्रोत से क्रय किया जाना प्रस्तावित है। ऋण हेतु प्रथम वर्ष में क्रय की गयी 1,28,000 वर्गमीटर भूमि को बन्धक रखना प्रस्तावित है।

Scanned with OKEN Scanner

		तृतीय वर्षः– तृतीय वर्ष में योजना के निर्धारित क्षेत्रफल (लगभग 5,22,000 वर्गमीटर) का 50 प्रतिशत (लगभग 2,61,000 वर्गमीटर) भूमि को सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये सीड कैपिटल की प्रथम व द्वितीय किस्त, ऋण की द्वितीय किस्त एवं प्राधिकरण के स्वयं के स्त्रोत से क्रय किया जाना प्रस्तावित है। ऋण हेतु द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रय की गयी कुल 1,50,000 वर्गमीटर भूमि बंधक रखना प्रस्तावित है। (ii) द्वितीय चरण (भार मुक्त भूमि का विकास व विक्रय) योजना के द्वितीय चरण में प्राधिकरण के पास उपलब्ध भार मुक्त भूमि (लगभग 2,44,000 वर्गमीटर) को 03 वर्षो में विकसित कर उक्त भूमि में भूखण्ड नियोजित कर विक्रय योग्य भूमि (लगभग 1,22,000 वर्गमी0) को 05 वर्षो में विक्रय किया जाना प्रस्तावित है। भूमि के विक्रय से छठे वर्ष के अन्त तक प्रथम ऋण व सातवें वर्ष के अन्त तक द्वितीय ऋण ब्याज सहित वित्तीय संस्थान को वापस किया जा सकता है। (iii) तृतीय चरण (बन्धक मुक्त भूमि का विकास व विक्रय) योजना के तृतीय चरण में प्राधिकरण के पास उपलब्ध बन्धक से मुक्त हुई भूमि (लगभग 2,78,000 वर्गमीटर) को 03 वर्षो में विकसित कर उक्त भूमि में भूखण्ड नियोजित कर विक्रय योग्य भूमि (लगभग 1,39,000 वर्गमी0) को 05 वर्षो में विक्रय किया जाना प्रस्तावित है। चौदहवें वर्ष में शासन से प्राप्त हुई धनराशि वापस की जा सकती है। अतः मा0 मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/ नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार आवासीय परियोजना/टाउनशिप का प्रस्ताव मा0 बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	
71/03	उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति, 2021 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के अनुपालन संबंधी शासनादेश को अंगीकृत किये जाने के संबंध में।	अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3, उ0प्र0शासन, लखनऊ के आदेश पत्र संख्या 785/आठ–3–2023 दिनांक 10 अप्रैल, 2023(संलग्न) द्वारा उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति, 2021 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के अनुपालन संबंधी शासनादेश को अंगीकृत किये जाने का प्रस्ताव मा0 बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।	मा0 बोर्ड द्वारा सम्यक विचारोपरांत सर्वसम्मति से उ0प्र0 डाटा सेन्टर नीति, 2021(यथा संशोधित) के प्राविधानों को अंगीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

71/04	अमृत योजना के अंतर्गत सहारनपुर विकास क्षेत्र की जी0आई0एस0 बेस्ड महायोजना–2031 को अनुमोदन हेतु शासन को प्रेषित किये जाने के संबंध में।	प्राधिकरण की 64वीं बोर्ड बैठक दिनांक 03.01.2022 एजेण्डा आईटम संख्या 64/12 एवं 69वीं बोर्ड बैठक दिनांक 31.01.2023 एजेण्डा आईटम संख्या 69/6 में प्रदान किये गये अनुमोदन के आधार पर जनसामान्य से क्रमशः दिनांक 07.01.2022 से 18.04.2022 एवं 17.02.2023 से 03.03.2023 तक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कर आपत्ति एवं सुझाव मॉगे गये थे, जिसमें क्रमशः 159 एवं 55 आपत्तियॉ/सुझाव प्राप्त हुए। शासन द्वारा गठित समिति द्वारा 159 आपत्तियों पर सुनवाई दिनांक 27.06.2022 से 29.06.2022 तथा 55 आपत्तियों पर सुनवाई 15.03.2023 को तथा नगर निगम कार्यालय में रखे गये आपत्ति/सुनवाई के रजिस्टर में दर्ज 13 आपत्तियों पर दिनांक 06.04.2023 को की गयी। समिति द्वारा सुनवाई उपरान्त प्राप्त आपत्तियों का विश्लेषण एवं परीक्षण किये जाने हेतु दिनांक 21.04.2023, 06.05.2023, 16.05.2023, 17.06.2023, 24.06.2023, 04.07.2023 व 21.07.2023 को	सहारनपुर महायोजना–2031 का प्रारूप प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 03.01.2022 व दिनांक 31.01.2023 में बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था। अनुमोदन के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रारूप पर जनसामान्य, संस्थाओं तथा शासकीय विभागों से समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कर आपत्ति/सुझाव मांगे गये। सभी प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर विधिवत उपाध्यक्ष, स0वि0प्रा0 की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा सुनवाई की गयी। समिति द्वारा प्रत्येक आपत्ति और सुझाव पर अपनी संस्तुति/आख्या प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत की गयी। साथ ही समिति की संस्तुति के क्रम में महायोजना प्रारूप के मानचित्र में यथावश्यक संशोधन कर महायोजना मानचित्र का बोर्ड के समक्ष विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा समिति की संस्तुति/ आख्या एवं महायोजना पर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया गया। सभी संगत विषयों पर सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा निम्नांकित निर्णय लिये गये :– 1– दिनांक 07.01.2022 से दिनांक 18.04.2022 के मध्य प्राप्त 159 आपत्ति/ सुझाव पर सुनवाई हेतु गठित समिति की संस्तुति/ आख्या पर निर्णय :– क– आपत्ति/ सुझाव संख्या 10(2) पर समिति के मत को आसपास हो रही आवासीय गतिविधियों व उसके संभावित प्रसार के दृष्टिगत स्वीकार किया गया। ख– आपत्ति/ सुझाव संख्या 103 पर समिति के मत को स्वीकार किया गया। ग– आपत्ति/ सुझाव संख्या 100 पर समिति की आख्या का अवलोकन किया गया। बोर्ड द्वारा पाया गया कि यह स्थल दिल्ली रोड पर स्थित है तथा निर्माणाधीन चुनहेटी–देवला बाईपास के सन्निकट है। दिल्ली रोड के चुनहेटी–देवला बाईपास से मिलन स्थल के आस पास व्यवसायिक क्रियाओं का भविष्य में प्रसार होना स्वाभाविक है। अतः बोर्ड द्वारा व्यवसायिक गतिविधियों की उच्च संभाव्यता के दृष्टिगत नियोजित विकास हेतु दिल्ली रोड

Scanned with OKEN Scanner

		बैठकें की गयी तथा समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर महायोजना–2031(प्रारूप) में यथा आवश्यक संशोधन कर महायोजना प्रारूप–2031 को शासन के अनुमोदनार्थ प्रेषित किये जाने हेतु मा0 बोर्ड के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया जा रहा है। अतः महायोजना–2031(प्रारूप) पर प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर समिति की संस्तुति और आख्या मा0 बोर्ड के समक्ष विचारार्थ व निर्णयार्थ प्रस्तुत है तथा निर्णयानुसार संशोधन कर सहारनपुर विकास क्षेत्र की जी0आई0एस0 बेस्ड महायोजना–2031 को शासन को प्रेषित किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु मा0 बोर्ड के समक्ष प्रेषित है।	के दायें और पूरब–पश्चिम दिशा में महायोजना मार्ग के दक्षिण में सामुदायिक भू–उपयोग को व्यवसायिक भू–उपयोग में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया। घ– आपत्ति/ सुझाव संख्या 39 पर समिति की संस्तुति का अवलोकन किया गया। बोर्ड द्वारा दिल्ली रोड पर बाईपास के बाद दिये गये औद्योगिक भू–उपयोग को सामुदायिक भू–उपयोग में परिवर्तित करने सम्बन्धी संस्तुति को स्वीकार किया गया। हालॉकि बोर्ड द्वारा पाया गया कि औद्योगिक भू–उपयोग को दिल्ली रोड के बायें और बाईपास के निकट व्यवसायिक भू–उपयोग के पीछे जहॉ प्रस्तावित किया जा रहा है वहॉ समुचित पहुँच मार्ग का अभाव है तथा उत्तर दिशा में रेलवे लाईन है। अतः बोर्ड द्वारा बाईपास के निकट गॉव कांकरकुई में दिये गये व्यवसायिक भू–उपयोग के पीछे औद्योगिक भू–उपयोग स्थापित किये जाने संबंधी समिति की संस्तुति को अस्वीकार किया गया। ङ– बोर्ड द्वारा आपत्ति संख्या 02 पर समिति के मत को स्वीकार किया गया। च– आपत्ति/ सुझाव संख्या 65 पर बोर्ड द्वारा पाया गया कि जहॉ पर नगर निगम द्वारा ओपन में दर्शाये जाने संबंधी अनुरोध किया गया है वहॉ पर पूर्व से ही महायोजना प्रारूप में वाटर–बॉडी दर्शित है। अतः समिति की आख्या को निरस्त करते हुए स्थल को वाटर–बॉडी के अंतर्गत ही प्रदर्शित किये जाने का निर्णय लिया गया है। छ– बोर्ड द्वारा पाया गया कि आपत्ति संख्या 114 पर समिति की संस्तुति के अनुसार जनता रोड पर औद्योगिक भू–उपयोग को सार्वजनिक में परिवर्तित करने के उपरान्त व आपत्ति संख्या 59 पर समिति की संस्तुति के अनुसार जनता रोड पर ग्राम सरकड़ीशेख व ग्राम गोकलपुर में औद्योगिक भू–उपयोग को आवासीय में परिवर्तित करने के उपरान्त ग्राम मढ़ एवं ग्राम ढमोला में जनता रोड और नदी के मध्य औद्योगिक भू–उपयोग अवशेष है। पर्यावरणीय

			दृष्टिकोण से तथा आस–पास आवासीय भू–उपयोग प्रस्तावित होने के दृष्टिगत इस शेष औद्योगिक भू–उपयोग के स्थान पर आवासीय भू–उपयोग प्रदर्शित करने का निर्णय लिया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि आपत्ति संख्या 41 पर ग्राम मढ में औद्योगिक भू–उपयोग से आवासीय भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति प्राप्त हुई थी। 2– दिनांक 17.02.2023 से दिनांक 03.03.2023 के मध्य प्राप्त 55 आपत्ति/ सुझाव पर सुनवाई हेतु गठित समिति की संस्तुति / आख्या पर निर्णय :– क– आपत्ति/ सुझाव संख्या 10 पर समिति के मत को स्वीकार किया गया। ख– आपत्ति/ सुझाव संख्या 52 पर महायोजना–2021 में दर्शित/प्रस्तावित महायोजना मार्गो के संबंध में समिति की संस्तुति को निरस्त करते हुए यथावत रखने का निर्णय लिया गया। इसी आपत्ति/ सुझाव के निस्तारण में महायोजना–2031 प्रारूप में महायोजना–2021 से अतिरिक्त नवप्रस्तावित महायोजना मार्ग के संबंध में समिति की संस्तुति को स्वीकार किया गया। ग– बोर्ड द्वारा रेलवे भू–उपयोग को, रेलवे लैण्ड प्लान के अनुसार चिन्हित करने संबंधी समिति की संस्तुति को अस्वीकार करते हुए रेलवे भू–उपयोग को प्रारूप के अनुसार यथावत रखने का निर्देश दिया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त बोर्ड द्वारा अन्य सभी आपत्ति/ सुझाव के संबंध में समिति की संस्तुतियों को तथा सामान्य संस्तुतियों को स्वीकार किया गया। सहारनपुर महायोजना–2031 प्रारूप पर किये गये प्रस्तुतीकरण तथा आपत्ति/ सुझाव निस्तारण समिति एवं प्राधिकरण बोर्ड बैठक में हुए विचार–विमर्श उपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में सहारनपुर महायोजना–2031 (प्रारूप) में यथावश्यक संशोधन करते हुए शासन को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जाने हेतु मा0 बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

71/05

सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर के पैनल पर मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ/इलाहाबाद में तैनात अधिवक्ताओं की निर्धारित फीस के सापेक्ष क्लैरिकल चार्ज को संशोधित किये जाने के संबंध में।

अवगत कराना है कि मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ/इलाहाबाद में सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर से सम्बन्धित विभिन्न वादों/रिट याचिकाओं के अंतर्गत प्राधिकरण की ओर से प्रभावी एवं समुचित पैरवी किये जाने हेतु पैनल पर नामित किये गये अधिवक्ताओं के माध्यम से कार्यवाही सुनिश्चित कराई जा रही है। वर्तमान में मा0 उच्च न्यायालय में पैनल पर नामित अधिवक्ताओं द्वारा पूर्व निर्धारित फीस (रू0 10,000/– प्रति वाद एवं 10 प्रतिशत क्लैरिकल चार्ज) के सापेक्ष यह अनुरोध किया गया है कि मा0 उच्च न्यायालय में प्रतिशपथ–पत्र दाखिल किये जाने की स्थिति में रू0 3000/– से रू0 4000/– की सीमा तक व्यय होता है। अतः कार्य श्रम एवं कार्य की महत्वता को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व से निर्धारित फीस के अतिरिक्त 10 प्रतिशत क्लैरिकल चार्ज के स्थान पर क्लैरिकल चार्ज को बढाया जाए।

उल्लेखनीय है कि सहारनपुर विकास प्राधिकरण के पैनल पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय/मा0 सिविल न्यायालय, सहारनपुर/मा0 आयुक्त न्यायालय आदि में तैनात अधिवक्ताओं की फीस निर्धारित किये जाने विषयक एजेण्डा आईटम संख्या 66/03 को सहारनपुर विकास प्राधिकरण की 66वीं बोर्ड बैठक दिनांक 11.05.2022 में मा0 बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रस्तुत किया गया था जिस पर मा0 बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

वर्तमान में मा0 उच्च न्यायालय में पैनल पर नामित अधिवक्ताओं को भुगतान की जा रही फीस एवं 10 प्रतिशत क्लैरिकल चार्ज तथा प्रस्तावित फीस एवं क्लैरिकल चार्ज का विवरण निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	मा0 न्यायालय	वर्तमान में निर्धारित फीस	प्रस्तावित फीस
1.	मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ/इलाहाबाद	रू0 10,000/– प्रति वाद + 10 प्रतिशत क्लैरियल चार्ज	रू0 10,000/– प्रति वाद + रू0 2500/– क्लैरिकल चार्ज

अतः मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ/इलाहाबाद में सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर से सम्बन्धित विभिन्न वादों/रिट याचिकाओं के अन्तर्गत प्राधिकरण की ओर से प्रभावी एवं समुचित पैरवी किये जाने हेतु पैनल पर नामित किये गये अधिवक्ताओं द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के अन्तर्गत कार्य श्रम एवं कार्य की महत्ता को देखते हुए उपर्युक्त तालिका के अनुसार पूर्व से निर्धारित फीस रू0 10,000/– प्रति वाद को यथावत रखते हुए 10 प्रतिशत क्लैरिकल चार्ज के स्थान पर रू0 2500/– क्लैरिकल चार्ज निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण के मा0 बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

मा0 बोर्ड द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

71/06

प्राधिकरण कार्यालय के कार्य को सुचारू रूप से सम्पादित कराने हेतु सेवानिवृत्त कार्मिकों को संविदा के आधार पर रखे जाने का संबंध में।

सहारनपुर विकास प्राधिकरण में स्टाफ की अत्यंत कमी है जिसको दृष्टिगत रखते हुए सभी अनुभाग की बैठक एवं चर्चा में निम्न स्थिति सामने आयी एवं निम्न विचार रखे गए :–

1. स्वीकृत पदों के सापेक्ष नियोजन अनुभाग में ड्राफ्टमैन का पद रिक्त चल रहा है। वर्तमान में नगर निगम के ड्राफ्टमैन को आयुक्त महोदय के आदेशों के क्रम में प्राधिकरण कार्यों हेतु सम्बद्ध किया गया है जिनके द्वारा आवश्यकतानुसार कार्य सम्पादित किया जा रहा है।
2. स्वीकृत पदों के सापेक्ष एक लिपिक का पद रिक्त चल रहा है। लिपिक की कमी के चलते नैत्यिक कार्य प्रभावित होते हैं। अतः एक सेवानिवृत्त लिपिक को रखा जाना उचित है।
3. इसके अतिरिक्त सीलिंग/अर्जन अनुभाग में नियमित तहसीलदार/नायब तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल नहीं है। राजस्व की जानकारी होना एवं भूमि सम्बन्धी प्रकरणों की समझ होना मानचित्र स्वीकृति के समय आवश्यक रहती है। भविष्य में भूमि क्रय/अर्जन हेतु सहायतार्थ भी सक्षम राजस्व स्टाफ होना आवश्यक है। अतः एक सेवानिवृत्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार, कानूनगों व लेखपाल को रखा जाना श्रेयस्कर होगा।
4. वित्त/लेखा अनुभाग में लेखाकार/सहायक लेखाकार नहीं है। लेखानुभाग में लेखा सम्बन्धी प्रकरणों को कुशलतापूर्वक सम्पादित करना एवं सभी अभिलेखों को सुव्यवस्थित रखने में सहायता हेतु एक सेवानिवृत्त लेखाकार/सहायक लेखाकार रखा जाना श्रेयस्कर पाया गया।

उपरोक्त के संबंध में बैठकों में विचार–विमर्श के उपरान्त उपरोक्तानुसार आवश्यक सेवानिवृत्त कार्मिकों हेतु निम्न मानदेय प्रस्तावित किया गया है :–

क्र0सं0	अनुभाग का नाम	सेवानिवृत्त कार्मिक	संख्या	प्रतिमाह मानदेय (रू0)
1.	लेखा अनुभाग	लेखाकार/सहायक लेखाकार	01	18,000/–
2.	अधिष्ठान अनुभाग	लिपिक	01	15,000/–
3.	सीलिंग/अर्जन	तहसीलदार/नायब तहसीलदार	01	20,000/–
4.	सीलिंग/अर्जन	कानूनगो	01	15,000/–
5.	सीलिंग/अर्जन	लेखपाल	01	12,000/–

उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्मिकों के सापेक्ष सेवानिवृत्त कर्मिकों हेतु आवेदन विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगें तथा संविदा अवधि एक वर्ष होगी। प्राप्त आवेदन पत्रों के आवदेकों का साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जायेगा। एक वर्ष के उपरांत कर्मचारी की सेवाएँ

मा0 बोर्ड द्वारा कार्यहित में निम्न शर्तों के अधीन प्रस्ताव पर अनुमति प्रदान की गयी :–

1– प्रस्ताव में प्रस्तुत प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

2– संविदा की अवधि 11 माह होगी।

3– संविदा अवधि पूर्ण होने के उपरान्त आवश्यकता का आंकलन करते हुए आवश्यकता होने पर पुनः नये रूप से प्रक्रिया पूर्ण करते हुए संविदा पर रखे जाने की कार्यवाही की जाएगी।

		संतोषजनक होने पर प्राधिकरण द्वारा अधिकतम एक वर्ष के लिए पुनः अधिकतम एक बार नवीनीकरण किया जा सकेगा अथवा नवीन विज्ञप्ति निकाल आवेदन पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। अतः उपरोक्त तालिका में उल्लिखित सेवानिवृत्त कार्मिकों को प्रतिमाह मानदेय पर उक्त प्रक्रिया के अनुसार रखे जाने का प्रस्ताव मा0 बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।	

अन्त में प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद सहित बैठक समाप्त की गयी।

(गजेन्द्र कुमार)
सचिव
सहारनपुर विकास प्राधिकरण,
सहारनपुर।

(आशीष कुमार)
उपाध्यक्ष
सहारनपुर विकास प्राधिकरण,
सहारनपुर।

(हृषिकेश भास्कर यशोद)
आयुक्त/अध्यक्ष
सहारनपुर मण्डल/विकास प्राधिकरण
सहारनपुर।

Scanned with OKEN Scanner